## अध्याय VIII

## डीजीएफटी की इडीआई प्रणाली की लेखापरीक्षा

### 8 प्रस्तावना

महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) बनाता और लागू करता है। इसके दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में 4 जोनल कार्यालयों सहित, पूरे देश में 36 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) कार्यालय हैं।

महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) ने कुछ निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिये नब्बे के दशक के अंत में वेब आधारित एप्लीकेशन प्रोसेसिंग शुरू की। सभी 36 आरएलए कार्यालय कंप्यूटरीकृत और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के एनआईसीएनईटी सेवा के माध्यम से डीजीएफटी केन्द्रीय सर्वर से जुड़ा है। डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत ई-व्यापार, एकीकृत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी), का भाग है। यह प्रक्रिया को सरल करना, नियंत्रण और संस्था को सुविधा प्रदान करने से सेवा में इलेक्ट्रॉनिक वितरण शुरू करना उपयोगकर्ताओं को 24x7 उपयोग प्रदान करना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, व्यापार लागत और समय कम करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शुरू करना और कार्गों के आयात/निर्यात में बिक्री क्षेत्र में अभ्यास करना चाहता है। इस एकीकृत ईडीआई क्रियान्वयन से जुडी अन्य संस्थाएं ह्वाईअड्डा, एयरलाईन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बैंक और आरबीआई, सीमाशुल्क, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर), डीजीएफटी, निर्यात संर्वधन संस्था, महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांखिकी (डीजीसीआईएस) और अंतर्देशीय कंटेनर डियो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रीट स्टेशन (सीएफएस), भारतीय रेल और पोर्ट ट्रस्ट हैं।

### 8.1 डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

कार्यरत प्रणाली वास्तुकला केन्द्रीकृत सर्वर एप्लीकेशन, और वितरित कार्यों का मिश्रण है। डिजीटल हस्ताक्षर के लिये एप्लीकेशन को छोड़कर, जो कि आउटसोर्स की जाती है, सभी एप्लीकेशन एनआईसी द्वारा विकसित हैं। पूर्ण आंकडे नई दिल्ली के केन्द्रीय सर्वर में स्टोर किये जाते है। प्रत्येक आरएलए से संबंधित डेटा प्रक्रमण के लिये संबंधित लाइसेंसिंग कार्यालय को वितरित किया

जाता है और संसाधित डेटा केन्द्रीय सर्वर को वापस किया जाता है। दो लाइसेंसिंग योजनाओं के अंतर्गत संसाधन और एप्लीकेशन की फाइलिंग आरएलए को डेटा स्थानांतरित किये बिना वेब पर केन्द्रीय सर्वर से प्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं। डीजीएफटी वर्तमान में डीबी2 संस्करण 8.2 से स्थानांतरण के बाद आईबीएम डीबी2 9.7 इंटरप्राईस संस्करण डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रयोग कर रहा है। स्थानांतरण केन्द्रीय स्तर पर पूर्ण किया गया और आरएलए में प्रगति पर है।

डीजीएफटी का ईडीआई डेटा चार डेटाबेस अर्थात डीजीएफटी एमएआईएन, डीजीएफटी आरएलए, ईबीआरसी और डीजीएफटी में स्टोर किया गया है। यद्यपि पहले तीन केन्द्रीय डेटाबेस का सेट तैयार करते हैं डीजीएफटी नामक डेटाबेस प्रत्येक क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) के स्थानीय सर्वर में निहित है।

## 8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

### 8.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय आधारित लेखापरीक्षा डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली के नियंत्रण उद्देश्य पर आधारित प्रणाली लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी कि आईटी परिसंपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नियंत्रण हैं एवं डेटा/सूचना के आवश्यक गुण, प्रभावकारिता, क्षमता, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता, अनुपालन एवं विश्वसनीयता के मामलों में बनाएं रखे गए हैं।

### 8.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2011-12, 2012-13 और 2013-14 से संबंधित स्थानीय के साथ-साथ केन्द्रीय डेटा, में एसक्यूएल प्रश्नों का प्रयोग करते हुये विश्लेषण किया गया था और डेटा विश्लेषण से लेखापरीक्षा निष्कर्षों की परीक्षण जांच अहमदाबाद, बैंगलुरू, चेन्नै, चण्डीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 9 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आरएलए कार्यालय में प्रत्यक्ष फाइल से किया गया था।

## 8.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रणालीगत मुद्दों में वर्गीकृत हैं और व्यापार नियमों का गलत पता लगने से संबंधित मामले डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में हैं।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग के लिये परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) दर्शाते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ती के लिये आवश्यक ईडीआई पहलो के लिये केवल 2% भार सौंपा गया है।

वर्ष 2013-14 के लिये डीओसी के बजट आउटकम के मात्रात्मक उत्पाद भाग और वित्तीय व्यय में, डीओसी ने समय और कारोबार लागत को कम करने के लिये डीजीएफटी को कागज रहित संस्था बनाने के प्रति ₹ 10 करोड़ की व्यय योजना बनाई। यद्यपि, परिणामी बजट दस्तावेज उत्पाद को स्पष्ट करने में विफल रहे, यह कहते हुये कि उत्पाद की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती और प्राप्त परिणाम निर्यात समुदाय को अधिक पारदर्शी निर्णय लेने और लेन-देन में कमी जैसे केवल अप्रत्यक्ष परिणामों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

## 8.4 प्रणालीगत मुद्दे

वित्तीय वर्ष 12, वित्तीय वर्ष 13 और वित्तीय वर्ष 14 के दौरान हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईबीआरसी परियोजना की सुरक्षा लेखापरीक्षा, एमसी और आउटसोर्स की गई मानवशक्ति का व्यय ₹ 7.09 करोड़ था, डीजीएफटी उपयोगकर्त्ताओं के लिये डिजीटल हस्ताक्षर प्राप्त करने की लागत और एनआईसी की आधार भूत संरचना की लागत को छोड़कर ।

डीजीएफटी मुख्यालय के पास उपभोक्ता आवश्यकता विनिर्देशों (यूआरएस), प्रणाली डिजाईन दस्तावेजीकरण (एसडीडी), डेटा फ्लो डायग्राम, सर्विस लिगल एग्रीमेंट (एसएलए), मैनुअल, बैकअप और बहाली की नीतियों आदि जैसे प्रणाली डिजाईन और वास्तुकला या कोई भी प्रणाली दस्तावेजीकरण नहीं है। डीजीएफटी लेखापरीक्षा को अपनी ईडीआई प्रणाली से संबंधित फाइल और रिकॉर्ड प्रदान नहीं करती। डीजीएफटी लेखापरीक्षा को केवल चार डेटाबेस में 873 उपयोगकर्ता टेबलों में से केवल 520 के टेबल और कॉलम वितरण के साथ ईडीआई प्रणाली के अपने चार डेआबेस की बैकअप फाइल उपलब्ध कराता है। डीजीएफटी ने यह स्वीकार किया कि इसकी ईडीआई प्रणालियों में निम्नलिखित कमियां है:

(i) यहां सुपरिभाषित भुमिकाओं और जिम्मेदारियों वाली कोई संचालन समिति, सूचना प्रणाली संगठन नहीं हैं।

(ii) डीजीएफटी ने परियोजना प्रबंधन रिपोर्ट, अपने ईडीआई प्रणाली का प्रदर्शन विशलेषण रिपोर्ट, कारोबार निरंतरता योजना को विकसित या दस्तावेजीकृत नहीं किया है।

(iii) यहां कोई डाटा बैकअप नीति दस्तावेज नहीं है। आपदा प्रबंधन प्लान दस्तावेज, डाटा स्टोरेज नीति, पासवर्ड नीती, प्रवेश नियंत्रण नीती, हार्डवेयर परिवर्तन नीती।

(iv) डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली सभी संव्यवहारों के अभिलिखित ट्रेल उपलब्ध नहीं कराती है एवं ईडीआई प्रणाली की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

एए और ईपीसीजी के 'ऑनलाईन' परिशोधन (ईओडीसी) सम्पादन नामक कार्रवाई 2.1 से 2.6 के लिए आरएफडी में विभिन्न प्राधिकरणों के ऑनलाईन पंजीकरण और ईडीआई त्रुटियों की अवस्थिति मॉनिटरिंग, डीजीएफटी की इबीआरसी और इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (इएफटी) पहलों के समेकन और विस्तारण, अध्याय 3 योजनाओं के लिए संदेश विनिमय कार्यक्रम, निर्यात बंधु योजना की प्रचालनात्मक और संव्यवहार लागतों में कमी के लक्ष्यों को गुणात्मक संबंधों में प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2013-14 के लिए परिणाम बजट में मात्रात्मक प्रदेय वस्तुओं का केवल औपचारिक उल्लेख हैं। पूर्ण रूप से ऑनलाईन किए जाने से अग्रिम प्राधिकरण (एए), शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) और इपीसीजी योजनाओं के संबंध में दावा किए गए परिणाम/उपलब्धि भी गलत है क्योंकि ना तो इन योजनाओं के प्रति निर्यात दायित्व के ऑनलाईन निष्पादन के लिए कोई तंत्र अभी शुरू किया गया है (दिसम्बर 2014) और ना ही एए और डीएफआईए योजनाओं के मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमानों पर आधारित शुल्क मुक्त इनपुटों के अनुमन्य आयात मात्रा की ऑटोमेटिक रूप से गणना करने के लिए डीजीएफटी इडीआई प्रणाली में कोई सुविधा थी।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण कारबार अनुप्रयोग में जिसके माध्यम से लाइसेंस जारी करने से संबंधित अधिकतर एफटीपी नीति प्रावधान किए जाते हैं अतः आईटी सुरक्षा, मेलवेयर विश्लेषण, स्रोत कोड, अनुप्रयोग

संरूपण, आईसीटी अवंसरचना संरूपण, भेद्यता मूल्यांकन और आपरेटिंग सिस्टम अनुकलन, परिवर्तन प्रबंधन, वेब अनुप्रयोग सुरक्षा (डब्ल्यूएएस) निर्धारण, शुरू किए गए पैचेज का वैधीकरण और प्रोटोकोल कार्यप्रणाली, एसएलए (सेवा स्तर करार) सूचकों का विश्लेषण, प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण, आईटी अधिनियम और राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा नीति की नियमित लेखापरीक्षा आवश्यक है।

उपरोक्त लेखापरीक्षा डीजीएफटी (ईडीआई) सिस्टम पर गोपनीयता, अखंडता, पहूंच और समग्र मजबूती पर एक आश्वासन प्रदान कर सकते है।

## 8.5 अपर्याप्ता प्रक्रिया नियंत्रण

### 8.5.1 समान नौपरिवहन बिलों के लिए सीमा शुल्क द्वारा आपूरित डाटा की तुलना मे हस्त्य रूप से दर्ज किए गए एसबी डाटा मे एफओबी मूल्य भिन्न पाया गया।

विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत निर्यातकों के अधिकतर लाभ नौपरिवहन बिल सूचना पर आधारित होते है। सीमा शुल्क नियमित आधार पर डीजीएफटी को इडीआई एसबी डाटा उपलब्ध कराता है। ऐसी सूचना को एसएचबीआई-एमएएसटी-9001 टेबल में संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा, एक आवेदक शुल्क क्रेडिट लाभों के लिए अपनी एसवीज का संग्रहण करता है जिसे एसएचबी-एमएएसटी-9100 टेबल में संग्रहित किया जाता है। इसे या तो सीमाशुल्क द्वारा भेजे गए डॉटा से भरा जाता है या स्वंय आवेदक द्वारा हस्त्य रूप से भरा जाता है, जैसा भी चयन किया जाए। तदनुसार इसे कॉलम प्रविष्टि 'वाई'/ 'एन' द्वारा दर्शाया जाता है।

यह देखा गया कि अप्रैल 2011 के बाद से सीमा शुल्क द्वारा भेजे गए नौपरिवहन बिल अभिलेखों की कुल संख्या 26,80,612 थी। तथापि, एसएचबी एमएएसटी-9100 टेबल में सीमा शुल्क द्वारा भेजे गए केवल 3,16,205 (10 प्रतिशत) अभिलेखों को एसबी अभिलेखों में हस्त्य रूप से प्रविष्ट किए गए 28,23,012 (अर्थात 90 प्रतिशत) संख्या के प्रति उपयोग किया गया था।

यह भी पाया गया कि हालांकि सीमा शुल्क द्वारा दिए गए अभिलेख एक विशेष एसबी के लिए थे, डाटा को 2,60,458 एसबीज के मामले में हस्त्य रूप से दर्ज किया गया था। एसबी संख्या, एसबी तारीख और आईसीसी

संख्या (निर्यातक के ब्यौरें) के साथ मिलान द्वारा निर्धारित किया गया। सीमाशुल्क द्वारा आपूरित डाटा, जिसके लिए हस्तलिखित अभिलेख उपयोग किए गए थे, मे उपलब्ध ऐसे एसबी अभिलेखों की वास्तविक संख्या काफी अधिक है किन्तु उनकी संख्या को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि कई एसबी संख्याओं को मानक शुद्ध रूप से संख्यात्मक सीमाशुल्क ईडीआई एसबी फार्मेट की अपेक्षा वह थोड़े भिन्न फार्मेट में दर्ज पाया गया है।

2,60,458 एसबी अभिलेखों में, जहां हस्त्य रूप से दर्ज की गई एसबी संख्या सीमाशुल्क द्वारा आपूरित एसबी संख्या से मेल खाती है, 11,220 मामलों (4%) में यह देखा गया कि हस्त्य रूप से दर्ज किए गए एफओबी मूल्य सीमाशुल्क द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा से भिन्न थे। निर्यातों का एफओबी मूल्य, जोकि शुल्क क्रेडिट देने के लिए आधार है, 3097 मामलों ₹ 1,200 करोड़ तक में अधिक पाया गया था। 8,123 मामलों में एफओबी मूल्य में कमी भी देखी गई थी और कमी प्रति परेषण ₹ 440.16 करोड़ थी। इस प्रकार यह देखा गया कि एफओबी मूल्य में ₹ 799.84 करोड़ तक की निवल वृद्धि हुई थी। अध्याय 3 योजनाओं के लिए न्यूनतम अनुमत शुल्क क्रेडिट दर, अर्थात एफपीएस और एमएलएफपीएस के लिए एफओबी मूल्य का 2%, पर भी कुल एफओबी मूल्य में यह वृद्धि 11,220 मामलों में ₹ 16.00 करोड़ राशि के अधिक शुल्क क्रेडिट लाभों के अनुदान में परिवर्तित हो गई।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच नहीं है कि इडीआई नौपरिवहन बिल से संबंधित सीमा शुल्क द्वारा आपूरित विश्वसनीय डाटा, जोकि डाटाबेस में लिकेंज हेतु तत्काल उपलब्ध है, को ई-कामर्स अनुप्रयोग के माध्यम से एफटीपी लाभों का दावा करने के लिए नौपरिवहन बिल संग्रहणों को बनाते समय निर्यातकों द्वारा हस्त्य रूप से दर्ज किए गए डाटा से बदला नहीं गया है। इस कम वैधीकरण के परिणामस्वरूप बढ़े हुए एफओबी मूल्यों सहित गलत डाटा की प्रविष्टि हो सकती है बदले में जिससे योजना लाभों का दुरूपयोग हो सकता है।

### 8.5.2 समान नौपरिवहन बिल मद जिस पर वीएफएफएम योजनाओं और डीईपीबी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट दिया गया था, के एफओबी मूल्य के बीच भिन्नता

समान नौपरिहवन बिलों को (डीईपीबी), एफटीबी के अध्याय 4 की शुल्क हकदारी पासबुक योजना और साथ-साथ अध्याय-3 योजनाओं अर्थात विशेष कृषि उपज योजना (वीकेयूवाई), फोक्स मार्केट योजना (एफएमएस), फोक्स प्रोडक्ट योजना (एफपीएस) और मार्केट लिंकड फोकस प्रोडक्ट योजना (एमएलएफपीएस) के अन्तर्गत, संयुक्त रूप से वीएफएफ योजनाओं के नाम से जाना जाता है, शुल्क क्रेडिट हकदारी के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसी एसबीज के एफओबी मूल्यों जिन्हें अप्रैल 2011 के बाद की अवधि के दौरान दो भिन्न योजना लाभों अर्थात डीईपीबी और बीएफएफएम को प्राप्त करने हेतु उपयोग किया गया था, की तुलना से पता चला कि 1,52,406 मद स्तर अभिलखों, जहां समान मद को दोनो योजनाओं में उपयोग किया गया था, में से 1,17,864 मामलों (77 प्रतिशत) में एफओबी मूल्य भिन्न थे, हालांकि इन में से 1,08,290 मामलों में यहां तक कि बैक उदग्रहण प्रमाणपत्र (बीआरसी) संख्या/नौपरिवहन बिलों की बैंक उदग्रहण तारीख भी समान थी, जो दर्शाती है कि दोनों योजनाओं के अन्तर्गत किए गए दावे पश्च-उदग्रहण दावे थे। यदि शुल्क क्रेडिट को अनुमत किए गए दो एफओबी मूल्यों के न्यूनतम पर संगणित किया जाता है तब अनुमत किया गया अधिक शुल्क क्रेडिट उपरोक्त 1,80,290 मामलों में ₹ 77.33 करोड़ (यथास्थिति आधार पर) होगा। 1,08,290 मामलों में से 65,791 मामले ऐसे है जहां एफओबी मूल्यों में ऐसी भिन्नता ₹ 1000 से अधिक थी।

इस प्रकार नौपरिवहन बिलों और प्रासंगिक टेबलों से बैंक उदग्रहण जानकारी से एफओबी मूल्यों को प्राप्त करने के बाद एफओबी मूल्यों को परिशोधित किया गया था जो इनपुट नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है जो अधिक शुल्क क्रेडिट प्रदान करने से बचने हेतु आवश्यक है।

### 8.5.3 वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट का अनुदान जहां नौवहन बिल की निर्यात तारीख गलत है।

वीएफएफएम शुल्क हकदारी दावे से संबंधित एसबी डाटा से पता चला कि निर्यात तारीख 1,06,055 एसबीज के लिए एलइओ तारिख से पहले थी। इसे

ईडीआई एसबी डाटा के 7,752 मामलों में भी देखा गया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डाटा सीमा शुल्क द्वारा भेजी गई सही तारीखों के बावजूद गलत था और बदला गया था। ₹ 858.01 करोड़ की वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट 2011-12 से 2013-14 की अवधि से दौरान 1,42,456 मदों सहित ऐसी 1,00,711 एसबीज के प्रति अनुमत किया गया था जहां निर्यात तारीख एलइओ तारीख से पहले थी।

अतः सीमा शुल्क आपूरित इडीआई नौपरिवहन बिल डाटा, जिसे प्रमाणित माना जाना चाहिए के रद्दोबदल को रोकने के लिए डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत है।

### 8.5.4 उन मामलों में स्टेटस होल्डर इन्सेंटिव स्कीम (एसएचआईएस) स्क्रिप का अनुदान जहां आवेदक की स्थिति/स्टेटस प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकरण डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है।

निर्यातकों को स्टेटस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कुल निर्यात निष्पादन के आधार पर स्टेटस प्रमाणपत्र दिया जाता है और स्टेटस धारक के रूप में जाना जाता है। एक स्टेटस धारक, स्टेटस धारक प्रोत्साहन योजनाओं (एसएचआईएस) के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत की सीमा तक शुल्क हकदारी लाभों सहित विभिन्न विशेषाधिकारों के लिए पात्र है (एफटीपी का पैरा 3.16)। पैरा 3.10.2 के अनुसार 2009-10 के बाद किए गए निर्यातों के लिए एसएचआईएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अनुदान के लिए एचबीपी निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन फार्मेट एनएनएफ3ई में संबंधित अधिकारिक आरए को उनके स्टेटस प्रकार और स्टेटस प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकरण सहित स्टेटस धारक प्रमाणपत्र के ब्यौरे सहित किए जाएंगे। यह जानकारी एसएचआईएस के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए काफी है क्योंकि यह योजना केवल स्टेटस धारक के लिए है।

यह देखा गया कि एसएचआईएस के लिए आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे और एसएचआईएस स्क्रिप्स को ऑनलाईन आवेदनों में दर्ज किए गए स्टेटस/ स्टेटस प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकरण से संबंधित जानकारी के बिना दे दिए गए थे। 233 एसएचआईएस आवेदनों में, जिनके प्रति ₹ 57.88 करोड़ मूल्य

के एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स दिए गए थे, आवेदक का स्टेटस या स्टेटस जारीकर्ता प्राधिकरण या दोनो को '0' अर्थात 'कोई नहीं' के रूप में दर्शाया गया था जोकि ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुति प्रक्रिया के अपर्याप्त वैधीकरण को दर्शाते है। इस प्रकार, एसएचआईएस लाभों के अनुदान हेतु आवेदक के स्टेटस या स्टेटस जारीकर्ता प्राधिकरण के ब्यौरे जैसे महत्वपूर्ण डाटा की प्रस्तुति और रिकार्डिंग को सुनिश्चित करने के लिए कोई वैधीकरण नहीं है।

### 8.5.5 अवैध आईईसी आबंटन तारीख

आयकर विभाग द्वारा जारी एक स्थायी खाता संख्या (पेन) के प्रति केवल एक आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) दिया जाता है (एचबीपी का पैराग्राफ 2.9)। इसलिए, आईईसी डाटा महत्वपूर्ण पहचान डाटा है जोकि निर्यातक/आयातक की प्रमाणिकता को दर्शाता है और व्यापार में उनकी अद्वितिय पहचान को निर्धारित करती है और चूक के मामले में धारक की पहचान करने में विनियामक संस्थाओं की सहायता करती है। इस आईईसी डाटा को डीजीएफटी द्वारा सीमा शुल्क को ऑनलाईन स्थानांतरित किया जाता है।

आईईसी के प्रमुख अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आईईसी आबंटन तरीखें 42 मामलों में प्रथम दृष्टया गलत थी, क्योंकि आईईसी आबंटन की तारीख वर्तमान तारीख अर्थात 18 मार्च 2088 और 07 जनवरी 2992 के बीच के बाद की पाई गई थी। ऐसी सभी 42 आईईसीज डाटाबेस के अनुसार सक्रिय हैं।

इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में निर्गम तारीख जैसे महत्वपूर्ण आईईसी डाटा के लिए भी आऊटपुट नियंत्रण जांच की कमी है।

### 8.5.6 लाइसेंस के विशेष प्रकार हेतु डाटाबेस में भिन्न लाइसेंस वैधता अवधियों की मौजूदगी

प्रत्येक शुल्क क्रेडिट/छूट योजनाओं, विकसित प्राधिकरणों, ईपीसीजी योजनाओं ने वैधता अवधि निर्धारित की है जिसके दौरान आयात लाईसेंस के अन्तर्गत किया जा सके।

एलआईसी-एमएएसटी-1500 टेबल में संगृहित लाईसेंस निर्गम तारीख (एलआईसी-डीएटीए-1500) के साथ लाईसेंस वैधता तारीख (एलआईसी-वीएलडीटी-1500) के साथ तुलना से पता चला कि दी गई वैधता अवधियां

निर्धारित की गई वैद्यता अवधियों से काफी भिन्न थी। उदाहरणार्थ विकसित प्राधिकरण वैद्यता अवधि एलआईसी-सीएटीजी-144 टेबल के अनुसार 24 माह है जबकि लाईसेंस डाटा में यह वैद्यता अवधि अनेक मामलों में 0 से 56 माह तक भिन्न पाई गई थी। 36,712 मामलों में वैद्यता अवधि गलत पाई गई थी और एक मामलें में लाईसेंस वैद्यता तारीख लाईसेंस की निर्गम तारीख से भी पहले पाई गई थी। इसी प्रकार, एलआईसी-सीएटीजी-144 टेबल के अनुसार अध्याय 3 की एसएफआईएस और वीएफएफएम योजनाओं में भी लाईसेंस की निर्गम की तारीख से 24 माह की वैद्यता अवधि है। तथापि, इसमें 5 से 35 माह की भिन्नता पाई गई थी और 511 मामलों में गलत पाई गई थी। यहां भी, दो मामले ऐसे थे जहां वैद्यता तारीख लाईसेंस की निर्गम तारीख से पहले थी। दूसरे 3,99,019 मामलों में अध्याय 3 की स्क्रिप्स की वैद्यता तारीख '01-01-1900', के रूप में दर्ज पाई गई थी जो कॉलम के लिए नियत डिफोल्ट तारीख प्रतीत होती है।

गलत वैद्यता अवधियां विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाइसेंस की निर्धारित वैद्यता अवधियों से परे भी आयातों की अनुमति देंगी और संबंधित योजनाओं के संबंध में मूल नीति प्रावधानों को क्षति पहुंचाएगी।

### 8.5.7 केंद्रीय डाटाबेस बनाम स्थानीय डाटाबेस में लाइसेंस डाटा में अन्तर

डीजीएफटी डाटाबेस के एलआईसीएम आरेख में टेबल एलआईसी-एमएएसटी-1500 में संगृहित 1 अप्रैल 2011 से 17 अप्रैल 2014 (जिस तक डाटाबेस का बैकअप लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था) के दौरान आरएलए, कोलकाता द्वारा जारी लाइसेंसों के सीआईएफ/शुल्क क्रेडिट मूल्य, संशोधन ब्यौरें आदि और डीजीएफटीआरएलए डाटाबेस मे समान नाम के साथ टेबल में केंद्रीय सर्वर में संगृहित समान डाटा के बीच तुलना की गई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 89 लाइसेंस अभिलेखों में ₹ 174.72 करोड़ (एए/डीएफआईए के 85 मामलों में) के सीआईएफ मूल्य और ₹ 0.76 करोड़ (वीकेयूआई/ इपीसीजी के 4 मामलें) की शुल्क क्रेडिट राशि में अन्तर थे जो कुल ₹ 175.48 करोड़ था।

आगे संवीक्षा से पता चला कि अग्रिम विमुक्ति आदेश (एआरओ) या सीधे आयातों के अवैधीकरण 85एए/डीएफआईए लाइसेंस के प्रति जारी किए गए

थे और सीआईएफ मूल्य में अन्तर के कारण को स्थानीय आरएलए के डीजीएफटी डाटाबेस में टेबल एआरओ-एमएएसटी-1700 में संगृहित एआरओ डाटा से केवल 77 मामलों में सुनिश्चित किया जा सका था। शेष 12 मामलों में सीआईएफ/शुल्क क्रेडिट हकदारी मे अंतर को डाटाबेस से सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार, यह देखा गया कि एआरओज/अवैधीकरण के निर्गम के बाद स्थानीय आरएलए डाटाबेस पर लाइसेंस डाटा में किए गए संशोधनों को केंद्रीय सर्वर डाटा में पूर्ण रूप से दर्शाया नहीं गया था, जिसके कारण संन्देश विनिमय के माध्यम से सीमा शुल्क को गलत जानकारी भेजी जा सकती है और परिणामस्वरूप लाइसेंसों के अन्तर्गत अवैध आयातों का अनाधिकृत शुल्क मुक्त आयात हो सकता है। उपरोक्त 85एए/डीएफआईए में ₹ 174.72 करोड़ के अधिक आयातों में शामिल शुल्क प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए छोड़े गए शुल्क को उच्चतम आयात शुल्क दरों (10 प्रतिशत बीसीडी+12 प्रतिशत सीवीडी+4 प्रतिशत एसएडी=28.13 प्रतिशत) के आधार पर ₹ 49.15 करोड़ आंका गया था। इसलिए, उपरोक्त 89 मामलों में कुल राजस्व प्रभाव ₹ 49.91 (₹ 49.15 करोड़ + ₹ 0.76 करोड़) करोड़ है। हालांकि आरएलए द्वारा इओ के मानवीय निष्पादन से मौजूदा प्रणाली में एए/डीएफआईए/ईपीसीजी में कोई अधिक आयात नोटिस में आ जाता है और अन्तर शुल्कों को वसूली द्वारा विनियमित किया जाता है, केंद्रीय सर्वर में संगृहित डाटा के आधार पर इओ शुरूआत के ऑनलाईन निष्पादन की प्रस्तावित प्रणाली के बाद ऐसे मामलों का पता नहीं लगाया जा सकता।

### 8.5.8 समान फाईल संख्या के साथ बहुल इसीओएम संदर्भ और फाईल संख्या के बिना लाईसेंस डाटा

लाइसेंस/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप/ या आयत शुल्क मुक्त अधिकार के सभी ऑनलाईन आवेदन एक मात्र ईसीओएम संदर्भ संख्या सर्जित करते है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 10 मामलों में प्रथक ई-कामर्स संदर्भ संख्याओं की समान फाईल संख्या थी जिसके परिणामस्वरूप डाटाबेस में ऑनलाइन ई-कामर्स आवेदक का अवैध ट्रेल हुआ।

इसके अलावा, 48 मामलों में डीजीएफटीआरएलए डाटाबेस लाईसेंस मास्टर टेबल के एलआईसी-एमएएसटी-1500 में फाइल संख्या नहीं पाई गई थी जहां दिया गया कुल शुल्क क्रेडिट वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 3.27 करोड़ था। इन अभिलेखों की लाईसेंस संख्या का किसी भी विशेष योजनाओं की शुल्क क्रेडिट गणना टेबल में पता नहीं लगाया जा सका था। इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि यह शुल्क क्रेडिट हकदारियां कैसे प्राप्त की गई थी। यह उचित स्वचालन, जोकि संबंधित टेबलों में स्वचालित रूप से इस जानकारी को दर्ज कर सकता है में कमी या मानवीय हस्तक्षेप, जिसके द्वारा ऐसे लाईसेंस अनियमित रूप से जारी किए गए थे, को दर्शाया है

इस प्रकार, इन शुल्क क्रेडिट अंको पर कैसे पहूंचा गया, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रसांगिक टेबल या मेनुअल हस्तक्षेत से जानकारी भरने कि प्रक्रिया पर कमजोर नियंत्रण को इगिंत करता है, जिससे लाइसेंस अनियमित रूप में जारी किए जा सकते है।

### 8.5.9 डीजीएफटी के ईडीआई डाटाबेस में पासवर्ड स्टोरेज सुरक्षा का अभाव

आयतकों/निर्यातकों और डीजीएफटी के ऑनलाइन अनुप्रयोग उपयोगिता का उपयोग करने वाले अधिकृत डीजीएफटी कर्मचारियों के लॉगइन पहचान और पासवर्ड ब्यौरों को डीजीएफटी डाटाबेस की तीन टेबलों में संगृहित किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आवेदन की जांच आरएलएज में डीजीएफटी उपयोक्ताओं द्वारा किया जाता है जो डिजीटल हस्ताक्षरों का नहीं, अपितु अपने लॉगइन और पासवर्ड ब्यौरों का उपयोग करते हुए स्थानीय प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यद्यपि समेकित डाटा की अपलोडिंग को डिजीटल हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जाता है, फिर भी समेकित डाटा की विषयवस्तुओं को केवल उपयोक्ता नामों और पासवर्डों के द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा डीजीएफटी वेबसाइट (htt:// dgft.gov.in/ commerce/ecom /Ecomttelp.htm) में देखा गया कि डिजीटल हस्ताक्षरों का उपयोग करते हुए आवेदनों को फाइल करने के अतिरिक्त उपयोक्ता नाम-पासवर्ड आधारित एक्सेस शीर्ष के अन्तर्गत आईईसी/आईईसी ब्रांच कोई और पासवर्ड का उपयोग करते हुए भी आवेदनों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइलिंग को अनुमति दी गई

है। डीजीएफटी के ईडीआई डाटाबेस की लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उपरोक्त दो टेबलों में उपयोक्ता पासवर्ड को पाठय फील्ड्स अर्थात अनएन्क्रिप्टेड रूप से संगृहित किया गया है और इन टेबलों तक पहुंच रखने वाले प्रत्येक को उपलब्ध है। इस प्रकार समस्त उपयोक्ता पासवर्ड डाटाबेस समझौते के जोखिम पर है क्योंकि कोई भी, जिसकी इन टेबलों तक एक्सेस है, ना केवल उपयोक्ता पासवर्डों को जानेगा बल्कि उपयोक्ताओं की पासवर्ड वरीयता भी जान लेगा।

इसलिए उपयोक्ताओं का निजी और गोपनीय डाटा होने के कारण उपयोक्ता पासवर्ड को ऐसे फार्मेट में नहीं रखा जाना चाहिए जो इसे यहां तक कि डीजीएफटी और एनआईसी स्टाफ को भी जाहिर करता है और इसकी बजाय इसे हैश जनित्र कलन विधि का उपयोग करते हुए अपरिवर्तनीय ढंग से कूट फार्मेट में संगृहित किया जाना चाहिए। इसलिए, डीजीएफटी डाटाबेस टेबलों में पाठ्य डाटा के रूप में पासवर्डों अर्थात् अनएन्क्रेपटिड रूप और इन टेबलों तक एक्सेस रखने वाले प्रत्येक को गोचर के रूप में सगृहण डीजीएफटी उपयोक्ताओं और आयातकों/निर्यातकों, ईबीआरसी लोडिंग बैंको आदि के लॉगइन एक्सेस ब्यौरों से समझौते के जोखिम को बढ़ावा मिलेगा।

### 8.5.10 अपात्र मदों पर वीकेजीयूवाई

वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट लाभ के लिए पात्र उत्पादों को एफटीपी के परिशिष्ट 37ए में निर्दिष्ट किया गया है। इस परिशिष्ट के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोड 0930,0904 (09041110 के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों को छोड़कर) के अन्तर्गत आने वाले कुछ उत्पाद इस योजना के अन्तर्गत किसी शुल्क क्रेडिट लाभों के लिए पात्र नहीं है।

हालांकि, डाटाबेस में वीएफएफएम और वीकेजीयूवाई शुल्क हकदारी टेबलों में अप्रैल 2011 के बाद की 3 वर्ष की अवधि से संबधित वीकेजीयूवाई योजना अभिलेखों के विश्लेषण द्वारा इस एफटीपी प्रावधान के सही कार्यान्वयन की पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत ₹ 0.20 करोड़ मूल्य के शुल्क क्रेडिट ऐसे अपात्र उत्पादों पर 172 अभिलेखों में अनुमत किए गए थे जोकि अपात्र उत्पादों हेतु वीकेजीयूवाई लाभों

की अननुमति को सुनिश्चित करने के लिए डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में पर्याप्त जांच के अभाव को दर्शाता है।

अक्तूबर 2014 में 22 मामलों में वीकेजीयूवाई क्रेडिट का गलत अनुदान भी आरएल, चेन्नई को बताया गया था। आरएलए से उत्तर प्रतीक्षित है।

## 8.6 निदेशिका टेबलों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

### 8.6.1 आयात मात्रा और निर्यात मात्रा को एसआईओएन निदेशिका में पाठ्य फार्मेट में रखा जाता है और इसे घोषित के प्रति पात्र आयात मात्रा/ वास्तविक निर्यात मात्रा की गणना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

अधिकतर निर्यात उत्पादों के लिए एक मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमान (एसआईओएन) मौजूद है। यदि उक्त उत्पाद के लिए एसआईओएन को अधिसूचित किया जाता है तब एसआईओएन को अपव्यय प्रतिमानों और निर्यात दायित्व (एचवीसी सस्करण 1 का पैरा 4.7) को नियत करने के लिए लागू किया जाएगा और जहां एसआईओएन निर्धारित नहीं किया गया है वहां उक्त को निर्धारित समय के अन्दर उचित अधिकार द्वारा निश्चित किया जाएगा।

आयात किए जाने वाले इनपुटों की गणना एए और डीएफआईए के निर्गम और विनियमन में महत्वपूर्ण कारक है। डीजीएफटीएमआईएन डाटाबेस की एसआईओएन योजना में टेबल इएक्सपी-आईटीईएम-1401 और आईएमपी- और आईएमपी आईटीईएम 1402 को क्रमशः आयात उत्पाद (कुल 7,391) और आयात के लिए अपेक्षित संबंधित इनपुटों हेतु निदेशिका टेबल के रूप में उपयोग किया जाता है जैसाकि मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमान (एसआईओएन) में संगणित है। यह देखा गया कि संबंधित इनपुटों (कुल 35,500 आयात वस्तुओं से अधिक) की निर्यात मात्रा और आयात मात्रा को पाठ्य/शब्द फार्मेट (अंक नहीं) में सगृहित किया जाता है जोकि गणना हेतु जिम्मेवार नहीं है, इस प्रकार लाइसेंस के निर्गम के दौरान या क्षतिपूर्ति के समय मानवीय गणना/हस्तक्षेप अपेक्षित है।

ऐसे 67,801 अग्रिम अधिकारों और शुल्क मुक्त आयात अधिकारों, जिनकी शुल्क मुक्त आयात हकदारियों की उल्लिखित जोखिमों के साथ हस्त्य रूप

से गणना की गई थी, के प्रति कुल छोड़ा गया राजस्व 2011-12 से 2013-14 तक तीन वित्तीय वर्ष अवधि के दौरान ₹ 64,558 करोड़ गिना गया है। इसलिए, यह देखा गया कि डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमान (एसआईओएन) निदेशिका पाठ्य रूप में है जो एसआईओएन मानदण्डों से पात्र इनपुट मात्राओं की स्वचालित गणना के लिए जिम्मेदार नहीं बनाती और हस्त्य रूप से चूकों से संलग्न जोखिम के साथ हकदारियों की हस्त्य रूप से गणना को आवश्यक बनाती है।

### 8.6.2 समान प्रभावी तारीख पर भिन्न दर के साथ डीईपीबी निदेशिका में वस्तु की दोहरी प्रविष्टि

शुल्क हकदारी पासबुक योजना दरों को दी गई प्रभावी तारीख से उत्पाद कोड और डीईपीबी क्रम संख्या जिसके लिए लागू हो, के संदर्भ में डीईपीबी-आरएटी-413 टेबल में संगृहित किया गया है।

यह देखा गया कि समान डीईपीबी क्रम संख्या को समान तारीख से विभिन्न दरों के साथ निदेशिका में दो बार दर्ज किया गया था। समान उत्पाद के लिए 8 प्रतिरूप प्रविष्टियों के अलावा ऐसे 6 मामले देखे गए थे।

### 8.6.3 विदेशी मुद्रा विनिमय दर निदेशिका का गलत अद्यतन

सीबीईसी ने समय-समय पर आयात एवं निर्यात माल के मूल्यनिर्धारण के उद्देश्य हेतु विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए लागू विनिमय दरों को अधिसूचित किया है। इस प्रकार अधिसूचित निर्यात हेतु विनिमय दर को विदेशी मुद्रा में उदग्रहीत एफओबी मूल्य के आईएनआर में रूपांतरण के लिए भी उपयोग किया जाता है जिसके आधार पर शुल्क क्रेडिट हकदारियां दी जाती है। निर्यात परेषणों के लिए अधिसूचित इन दरों को डीजीएफटीएमएआईएन डाटाबेस के सीओएमएमओएन स्कीम के सीयूआर-इएक्सपीटी-181 टेबल में संगृहित किया जाता है।

यह पाया गया कि अप्रैल 2011 से सीबीईसी द्वारा अधिसूचित ऐसी 15 विनिमय दरों को विनिमय दर हेतु उक्त टेबल में अद्यतित नहीं किया गया था। दूसरे 12 मामलों में भी यह देखा गया कि यहां अधिसूचित दरों के प्रति उक्त टेबल में अपनी प्रभावी तारीख की तुलना में विनिमय दर का गलत डाटा था। डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली की निदेशिका अद्यतन प्रक्रिया हस्त्य रूप से और किसी अनुवर्ती प्रमाणीकरण के बिना है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार

विनिमय दर निदेशिका का अद्यतन नहीं/गलत अद्यतन हुआ जिसके कारण शुल्क क्रेडिट हकदारियों की गलत गणना हुई।

## 8.7 कारबार प्रक्रियाओं और नियमावली की गलत मैपिंग

डीजीएफटी विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का पालन करता है और प्रत्येक पांच वर्षों के लिए अधिसूचित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के प्रावधानों को कार्यान्वित करता है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एफटीपी 2009-14 लागू थी। आगामी लेखापरीक्षा निष्कर्ष एफटीडीआर अधिनियम के प्रावधानों, एफटीपी और एचबीपी के प्रावधानों से संबंधित है जिन्हे डीजीएफटी के ईडीआई अनुप्रयोग में प्रभाविकता से कार्यान्वित नहीं किया था जिसके कारण लाभों का अनियमित और गलत अनुदान हुआ।

### 8.7.1 एकल पैन के प्रति एक से अधिक आयातक निर्यातक कोड का निर्गम

किसी व्यक्ति द्वारा वैद्य आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के बिना कोई आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा जब तक उसे विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो (एफटीपी का पैरा 2.12)। एफटीपी 2009-14 के लिए प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका (एचबीपी) के पैरा 2.9 के अनुसार आयकर विभाग द्वारा जारी एकल पैन के प्रति केवल एक आईईसी की अनुमति दी गई है।

आईईसी मास्टर ब्यौरे तालिका के विश्लेषण से पता चला कि एकल पैन के प्रति कई आईईसीज़ जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी डाटाबेस में ऐसी अनियमित रूप से जारी की गई 9,175 आईईसीज़ का पता लगाया। ऐसी 409 आईईसीज यह पुष्टि करते हुए पिछले तीन वर्षों (अर्थात् अप्रैल 2011 के बाद) में जारी किए गए थे। आगे सीमा शुल्क इडीआई डाटाबेस (आईसीईएस 1.5) के साथ दोतरफा जांच से पता चला कि अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि तक 2 वर्ष के दौरान ऐसे 929 आईईसी धारकों द्वारा ₹ 25,351.30 करोड़ मूल्य के आयात किए गए थे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 71 आयातकों (पैन धारक) को ₹ 578.16 करोड़ मूल्य के आयात के लिए एक साथ अपने कई आईईसीज (152 आईईसीज़ उपयोग किए गए) का उपयोग करते हुए पाया गया था। विशेष रूप से एक मामले में एक पैन धारक को 27 आईईसीज जारी किए गए थे। सभी 27 आईईसीज डीजीएफटी डाटाबेस के

अनुसार 'सक्रिय' स्थिति में पाए गए थे और इन आईईसीज में से 8 (क्रम सं. 11 से 18) को अप्रैल 2011 से मार्च 2013 (2 वर्ष) के बीच ₹ 3.84 करोड़ मूल्य के 74 परेषणों के आयात के लिए उपयोग किया गया था।

10 आरएलएज़[18] में 247 मामलो के नमूने में प्रत्यक्ष रूप से आईईसी निर्गम फाईलों के साथ डाटाबेस से विश्लेषण के परिणामों की दोतरफा जांच और डीजीएफटी वैबसाईट पर आईईसीज डाटा की ऑनलाईन जांच ने भी उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि की थी। हालांकि, इस संबंध में लेखापरीक्षा पूछताछ की प्रतिक्रिया में आरएलए कानपुर ने उत्तर दिया कि उस कार्यालय द्वारा कई आईसीज जारी नहीं की गई थी। आरएलए हैदराबाद में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी 13 मामलों में यह बताया गया कि सुधारात्मक उपाय किए जा रहे थे। दूसरे आरएलएज से उत्तर प्रतीक्षित है। आरएलए लुधियाना ने स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 5 मामलों में से 4 में कई आईईसीज जारी किए गए थे और यह कि 1 मामले में दूसरे आईईसी को पहले को रद्द करने के बाद जारी किया गया था। हालांकि, इस मामले में भी आईईसी डाटाबेस में निरस्तीकरण नहीं दर्शाया गया था अर्थात दोनों आईईसीज सक्रिय पाए गए थे।

इसके अलावा, आरएलए फाइलों से नमूना जांच से पता चला कि आईईसीज के कई निरस्तीकरणों को डाटाबेस में दर्शाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि एक आईईसी धारक आईईसी डाटा के आशोधन/अद्यतन के लिए आवेदन कर सकता है तो मौजूदा आईईसी के निस्तीकरण कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। इसकी बजाय,समान आईईसी को धारक की आवश्यकता के अनुसार आशोधित/अद्यतित कराया जाना चाहिए या निष्क्रिय आईईसीज़ के मामले में आईईसीज को डीजीएफटी की आवश्यकताओं को पूरा करने पर दोबारा मान्य/सक्रिय किया जा सकता है। पहले आईईसी के निरस्तीकरण के प्रति दूसरे के निर्गम का उस मामले में दुरूपयोग किया जा सकता है जहां पिछले आईईसीज को चूक/दाण्डिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया हो। इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में नामतः आईईसीज के निर्गम हेतु

[18] 10 आरएलएः कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना एवं दिल्ली

कोई वैद्यीकरण जांच नहीं है, कि क्या आईईसी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए पैन के प्रति पहले से कोई आईईसी मौजूद है या मौजूदा आईसीसी को परिर्वतित किया जा रहा है।

### 8.7.2 सीमाशुल्क की सूचना में विलम्ब के कारण निरस्त आईईसीज के प्रति आयात

डीजीएफटी आवेदकों को आईईसी जारी करता है जोकि एफटीपी या एफटीडीआर अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कारण चूक के मामले में निरस्तीकरण हेतु दायी भी होगा जिससे कि अधिक आयातों/निर्यातों को करने से चूककर्ता आयातक/निर्यातक को रोका जाएगा। डीजीएफटी सीमाशुल्क को ऑनलाईन रूप से इसके निर्गम, निलम्ब, निरस्तीकरण आदि से अबंधित आईईसी की मौजूदा स्थिति को भेजेगा।

अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की 2 वर्ष की अवधि से संबंधित आईईसी के मास्टर ब्यौरे, उनके निरस्तीकरण, वर्तमान स्थिति और सीमाशुल्क को भेजे गए ट्रासमिशन ब्यौरों और सीमाशुल्क ईडीआई डाटा (आईसीईएस 1.5) के साथ उनकी दोतरफा जांच से संबंधित टेबलों की संवीक्षा से पता चला कि 9 मामलों में आईईसीज़ निरस्त कर दिए गए थे किन्तु सीमाशुल्क को सुचना देने में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप इन निरस्त आईईसीज के प्रति ₹ 2.02 करोड़ मूल्य के 35 परेषणों का अनियमित आयात हुआ।

यह देखा गया कि आईईसीज के निरस्तीकरण से संबंधित डाटा के ऑनलाईन संचार की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क को सूचना देने में विलम्ब हुआ और इसके अनुवर्ती निरस्त आईईसीज के प्रति अनियमित आयात हुआ।

### 8.7.3 डिनाइड इकाई सूची (डीईएल) में शामिल फर्मों को लाइसेंसों का निर्गम

डीनाइड इकाई सूची (डीइएल) का अनुरक्षण विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के नियम 7 के साथ पठित एफ सं. 18/24/मुख्यालय/99-2000/इसीए II दिनांक दिसम्बर 31, 2003 माध्यम से डीजीएफटी के सम्पादन खण्ड के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। एक आईईसी धारक को

दूसरे लाईसेंसों से इन्कार किया जाता है यदि इसे एफटीपी या एफटीडीआर अधिनियम के किसी उल्लंघन हेतु डीईएल के अन्तर्गत रखा जाए।

अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि के लिए डीजीएफटी डाटाबेसों की संवीक्षा से पता चला कि 1,606 अधिकारों और शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों को 248 फर्मों को जारी किया गया था यद्यपि वह डीजीएफटी की डीईएल सूची में थे।

उपरोक्त में से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और ईपीसीजी अधिकारों के निर्गम से संबंधित 1,439 मामलों, जिन पर ₹ 681.90 करोड़ मूल्य की जमा शुल्क क्रेडिट/शुल्क की अनुमति दी गई थी और दूसरे 167 मामलों में ₹ 597.94 करोड़ सीआईएफ मूल्य के आयातों के लिए नकारात्मक सूची हेतु अग्रिम अधिकारों (एए), शुल्क मुक्त आयात अधिकार (डीएफआईए) और आयात अधिकारों की अनुमति दी गई थी।

ऐसे 145 मामलों के नमूनों की डाटा विश्लेषण के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए 10 आरएलएज़[19] के अभिलेखों से दोतरफा जांच की गई थी। आरएलएज को इस संबंध में जारी की गई लेखापरीक्षा जांच की प्रतिक्रिया में आरएलए कानपुर ने बताया कि यहां सभी 4 मामलों में लाइसेंस/स्क्रिप्स डीईएल को हटाने के बाद जारी किए गए थे जोकि गलत है क्योंकि फर्म को मई और अक्तूबर 2011 के बीच लाइसेंस जारी किए गए थे किन्तु फरवरी 2012 में डीईएल से आहरित किए गए थे। सीएलए दिल्ली ने 7 में से 6 मामलों में स्वीकार किया कि लाइसेंस/स्क्रिप्स अनियमित रूप से जारी की गई थी। आरएलए हैदराबाद ने ऐसे 30 मामलों में से केवल एक के संबंध में उत्तर दिया कि फर्म का डीइएल से पहले ही निराकरण किया जाना चाहिए था क्योंकि उन्होने अपने इओ को पूरा कर लिया था किन्तु यह निराकरण लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद ही किया गया था। आरएलए जयपुर ने बताया कि एक मामले में लाइसेंसधारक को लेखापरीक्षा आपत्ति के अननुपालन हेतु डीइएल में रखा गया था जोकि आरएलए के अनुसार गलत थी और इसलिए लाइसेंस गलत रूप से दिया गया था। अन्य मामले में इसने बताया कि डीइएल से पार्टी के निराकरण को डाटाबेस में समय पर अद्यतित

[19] 10 आएलए: कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियना और दिल्ली

नहीं किया गया था। आरएलए लुधियाना में लाइसेंसो/ स्क्रिप्स के अनियमित निर्गम के ऐसे 12 मामलों में से आरएल ने 2 मामलों में अनियमितता को स्वीकार किया किन्तु बताया कि शेष मामलों में निर्गम उचित था। हालांकि, डीजीएफटी डाटा दर्शाते है कि लाइसेंस/स्क्रिप्स के निर्गम के समय लाइसेंसधारक डीईएल में थे। आरएलए मुम्बई में 16 मामलों और आरएलए, अहमदाबाद में 1 मामले में यह देखा गया कि लाइसेंसों को डीइएल ऑर्डर को स्थगन में रखते हुए जारी किया गया था। डीईएल आदेश को स्थगित रखते हुए डीईएल में सत्वों को लाईसेंसों का निर्गम उचित नहीं था क्योंकि दिसम्बर 2003 के परिपत्र और विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली 1993, के प्रावधानों के अनुसार एक आईईसी धारक को लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता यदि उसे डीइएल के अन्तर्गत काली सूची में डाला गया हो।

इसके अलावा, आरएल के उत्तरों से यह देखा गया कि डीईएल में अंतर्वेश और निराकरण को शीघ्रता से केंद्रीय डीईएल डाटाबेस में अद्यतित नहीं किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय डीईएल सूची की रचना हुई। इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में ई-सीओएम आवेदनों को प्रस्तुत करने से डीइएल में इकाईयों को छोड़ने या ऐसे इकाईयों को अधिकारों/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स जारी करने के लिए उचित वैधीकरण/इनपुपट नियंत्रण नहीं है। डीईएल स्थिति की मामलों के आधार पर हस्त्य रूप से जांच की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप चूकें और लाइसेंसों का अनियमित निर्गम हुआ।

### 8.7.4 पहले से ही शून्य शुल्क ईपीसीजी जारी की गई कम्पनियों को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स का अनुदान और विपरीततया

स्टेटस धारक प्रोत्साहन स्क्रिप्स (एसएचआईएस) के लिए आवेदन निर्यात के वर्ष के अगले वर्ष में किया जा सकता है। एचबीपी के पैरा 3.10.3 (बी) के अनुसार यदि एक आवेदक ने वर्ष 2010-11 या 2011-12 या 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क इपीसीजी अधिकार प्राप्त किया है तब वह उस वर्ष [अर्थात संबंधित पिछले वर्षों (2009-10, 2010-11, और 2011-12) के दौरान किए गए निर्यात हेतु] के लिए एसएचआईएस हेतु हकदार नहीं हो पाएंगे। ऐसे एसएचआईएस आवेदनों को तुरन्त ही निरस्त कर दिया जाएगा और पैरा 9.3 (आवेदन फाइल करने में विलम्ब हेतु विलम्ब शुल्क) भी लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार शून्य शुल्क इपीसीज योजना उन निर्यातकों को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होने उस वर्ष एफटीपी {एफटीपी (2013) का पैरा5.1 (बी)} के पैराग्राफ 3.16 के अन्तर्गत एसएचआईएस के लाभ प्राप्त किए थे। यदि उन्होंने पहले ही एसएचआईएस लाभ प्राप्त कर लिए है तब वें शून्य शुल्क योजना के लिए पात्र होंगे अगर वह लागू ब्याज सहित प्राप्त किए गए अपने एसएचआईएस लाभों का परित्याग या प्रतिदाय कर देते है।

हालांकि, अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि के लिए डीजीएफटी इडीआई डाटा के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 181.95 करोड़ के शुल्क क्रेडिट हेतु 227 एसएचआईएस स्क्रिप्स उन मामलों में अनियमित रूप से जारी किए गए थे जहां शून्य शुल्क ईपीसीजी अधिकारों को समान वर्ष में समान फर्म को पहले ही जारी कर दिया गया था। यह भी देखा गया था कि ₹ 87.44 करोड़ राशि के बचाए गए शुल्क के 84 शून्य शुल्क ईपीसीजी अधिकारों को उन मामलों में अनियमित रूप से जारी किया गया था जहां एसएचआईएस स्क्रिप्स उस वर्ष के दौरान समान फर्मों को पहले ही जारी की जा चुकी थी। इस प्रकार, इन 311 मामलों में बचाए गए अनियमित रूप से अनुमति दिए गए शुल्क क्रेडिट/शुल्क की कुल राशि ₹ 269.40 करोड़ थी।

डाटा विश्लेषण की पुष्टि के लिए ग्यारह आरएलएज[20] में प्रत्यक्ष फाइलों से 75 मामलों के नमूनों की दोतरफा जांच की गई थी। यह पुष्टि की गई कि इन सभी मामलों में लाइसेंसो/स्क्रिप्स को गलत रूप से जारी किया गया था। हालांकि चेन्नई, कानपुर, दिल्ली और बेंगलुरू आरएलएज में बाइस मामलों में एससीएन जारी करने, लाइसेंस के निरस्तीकरण, शुल्क वसूली आदि सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई थी किन्तु निरस्तीकरण डाटा को डाटाबेस में अद्यतित नहीं किया गया था। इसके अलावा, 5 में से 3 मामलों में आरएलए बेंगलुरू द्वारा कार्रवाई आरम्भ की गई थी, यह देखा गया कि एसएचआईएस, स्क्रिप्स धारकों ने अपनी स्क्रिप्स पहले ही हस्तांतरित कर दी थी।

[20] 11 आएलए: कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियना,दिल्ली और बेंगलूरू

डीजीएफटी (मुख्यालय) ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए सभी आरएलएज को अनुदेश दिए (18 फरवरी 2014)। हालांकि, डीजीएफटी ईडीआई डाटा से यह देखा गया कि 18 फरवरी 2014 के बाद भी एसएचआईएस स्क्रिप्स/शून्य शुल्क ईपीसीजी लाइसेंसो का अनियमित रूप से निर्गम जारी रहा जो दर्शाता है कि नीति के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए इडीआई आवेदन में पता चलने के बाद भी कोई आशोधन नहीं किया गया था। उनतीस (19 एसएचआईएस और 10 इपीसीजी) लाइसेंस/स्क्रिप्स को डीजीएफटी परिपत्र के जारी होने बाद दो माह की अवधि (17 अप्रैल 2014 तक, डीजीएफटी द्वारा उपलब्ध कराई गई डाटा बैक अप की तारीख) में गलत रूप से जारी किए गए थे।

इस मामले पर आरएलए हैदराबाद को लेखापरीक्षा जांच (17 अक्तूबर,2014) की प्रतिक्रिया में आरएलए ने बताया (22 अक्तूबर, 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए एक मामले में इसने फर्म को केवल एसएचआईएस स्क्रिप जारी की थी और ईपीसीजी लाइसेंस नहीं। अखिल भारतीय डाटाबेस से यह पाया गया कि आरएलए, विशाखापट्टनम द्वारा इपीसीजी अधिकार जारी किया गया था। इस प्रकार ना तो आरएलए हैदराबाद और ना ही आरएलए विशाखापट्टनम के पास यह जानने के कोई साधन थे कि फर्मों को दूसरे लाइसेंस/स्क्रिप जारी किए जा रहे थे।

आरएलए हैदराबाद की प्रतिक्रिया के आधार पर, जैसाकि ऊपर बताया गया, इपीसीजी अधिकार/एसएचआईएस स्क्रिप्स के गलत निर्गम के 311 मामलों की दोबारा जांच की गई थी जिसमें यह पाया गया कि 37 मामलों में (जैसाकि पिछले कॉलम में 'हां' टिप्पणी द्वारा दर्शाया गया:बेमेल आरएलए) जारीकर्ता आरएलएज स्क्रिप्स के दो प्रकारों हेतु भिन्न थे जो किसी भी आरएलएज द्वारा ऐसे मामले का पता लगाने हेतु कोई गुंजाईस नहीं छोड़ते।

इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में एफटीपी प्रावधानों के उल्लंघन में एसएचआईएस/शून्य शुल्क इपीसीजी की एस साथ प्राप्ति को रोकने के लिए कोई जांच नहीं है जिसके परिणामस्वरूप शुल्क क्रेडिटों का गलत अनुदान हुआ है। इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए आरएलएज हेतु डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में कोई कार्यात्मकता नहीं बनाई गई है कि क्या कोई

एसएचआईएस/शून्य शुल्क ईपीसीजी लाइसेंस किसी दूसरे आरएलए से उसी फर्म को पहले ही जारी किया गया है और आवेदक द्वारा स्वयं की गई घोषणा पर विश्वास किया गया हालांकि ऐसे डाटा को डीजीएफटी डाटाबेस से आसानी से पुन: प्राप्त किया जा सकता था।

### 8.7.5 वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत समान नौपरिवहन बिलों के बहु-उपयोग

विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.17.8 के अनुसार हकदारी की अद्वितीयता के संबंध में अध्याय 3 योजनाओं के अन्तर्गत विशेष नौपरिवहन के लिए निर्यातक द्वारा केवल एक लाभ का दावा किया जा सकता है। तदनुसार, आयात-निर्यात फार्म (सं. एएनएफ 3सी, क्र.सं. 5 और 6) सामान्य आवेदन फार्म के अनुसार वीकेजीयूवाई एफएमएस और एफपीएस (एमएलएफपीएस सहित) के लिए अध्याय 3 की किसी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट लाभों के लिए आवेदन को यह घोषणा करनी है कि किसी दूसरी अध्याय 3 योजना के अन्तर्गत किसी लाभ का दावा नहीं किया गया था और इसका दावा उसके आवेदन में शामिल वर्तमान नौपरिवहन बिलों के लिए किया जाएगा।

अप्रैल 2011 के बाद से 3 वर्ष की अवधि के लिए एफटीपी के अध्याय 3 की योजनाओं के अन्तर्गत नौपरिवहन बिलों की उपयोगिता और शुल्क क्रेडिट हकदारी के अनुदान से संबंधित डीजीएफटी ईडीआई डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 12 मामलों में समान नौपरिवहन बिलों को विभिन्न आवेदनों में उपयोग किया गया था जिस पर एफटीपी के अध्याय 3 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.05 करोड़ का गलत शुल्क क्रेडिट दिया गया।

आरएलए अहमदाबाद में दो और दिल्ली सीएलए में एक मामला फाइल की जांच से पता चला कि लाइसेंस धारक ने स्वयं लाइसेंस वापस कर दिए थे जहां नौपरिवहन बिल पर दूसरी बार विचार किया गया था। हालांकि, डाटाबेस से पुन: जांच पर पता चला कि इन लाइसेंसों मे से किसी को भी इडीआई प्रणाली में निरस्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, दिल्ली के मामले में सीएलए ने पिछली स्क्रिप के बदले में कमतर राशि के लिए नई स्क्रिप (सं. 0510354229, दिनांक 15 मई 2013) जारी की थी और बाद में दूसरी स्क्रिप

(सं 0510382707 दिनांक 26 मार्च 2014) में उसी एसबी के प्रति दूसरा शुल्क क्रेडिट दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उक्त एसबी का दूसरी बार उपयोग हुआ। समान नौपरिवहन बिल के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए ईडीआई प्रणाली में जांच अपर्याप्त है।

### 8.7.6 गलत विनिमय दर के आवेदन के कारण क्रेडिट का गलत अनुदान हुआ

अध्याय 3 के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और डीईपीबी स्क्रिप्स नौपरिवहन बिल (एसबी) पर घोषणा किए गए मुक्त विदेश विनिमय में निर्यातों के एफओबी मूल्य पर दिए और लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) की तारीख को विनिमय की मासिक सीमा शुल्क दर पर भारतीय रूपए में रूपांतरित किए जाए (एचबीपी का पैरा 3.11.11 और 4.43)। वित्त मंत्रालय (डीओआर) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सीमा शुल्क विनिमय दर को विनिमय दर निदेशिका टेबल में दर्ज और अद्यतित किया जाता है।

अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि के लिए डीजीएफटी ईडीआई डाटा के विश्लेषण से पता चला कि विनिमय की गलत दर के आवेदन के परिणामस्वरूप निर्यातों के एफओबी मूल्य की गलत गणना हुई और 1,30998 डीईपीबी नौपरिवहन बिल मदों और 11,083 वीएफएफएम एसबी मदों के मामलें में गलत उच्चतर और न्यूनतर दोनों) शुल्क क्रेडिट दिया गया। इनमें से 84,739 नौपरिवहन बिल मदों के प्रति ₹ 3.62 करोड़ का अधिक शुल्क क्रेडिट दिया गया और 57,342 नौपरिवहन बिल मदों के प्रति ₹ 3.43 करोड़ का कम शुल्क दिया गया था, जैसाकि नीचे तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:

**तालिका 8.1: ड्यूटी क्रेडिट का गलत अनुदान**

| | अधिक शुल्क क्रेडिट | | कम शुल्क क्रेडिट | | एसबी मदों |
|---|---|---|---|---|---|
| | एसबी मदों की सं. | राशि (₹) | एसबी मदों की सं. | राशि (₹) | की कुल सं. |
| डीईपीबी | 77,086 | 1,79,37,532 | 53,912 | 2,81,06,304 | 1,30,998 |
| वीएफएफएम | 7,653 | 1,82,95,726 | 3,430 | 62,37,848 | 11,083 |
| **जोड़:** | **84,739** | **3,62,33,258** | **57,342** | **3,43,44,152** | **1,42,081** |

स्रोत: लेखापरीक्षा वर्कशीट्स (कार्यपत्रक)

इस प्रकार, दिए गए गलत शुल्क क्रेडिट की कुल मात्रा 1,42,081 अभिलेखों (84739+57342) में ₹ 7.06 करोड़ (₹ 3.62 करोड़+ ₹ 3.43 करोड़) था। यह भी देखा गया कि समान नौपरिवहन बिल में विभिन्न मदों के लिए विभिन्न विनिमय दरें लागू की गई थी, हालांकि एक एसबी के लिए केवल एक एलइओ तारीख और इसलिए इसके अन्तर्गत सभी मदों के लिए केवल एक विनिमय दर हो सकती थी।

759 मद स्तर डीईपीबी नौपरिवन बिल अभिलेखों और 356 वीएफएफएम नौपरिवहन बिल अभिलेखों के नमूनें की डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि करने के लिए 7 आरएलएज[21] की फाइलों से प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी। जांच किए गए सभी मामलों में यह देखा गया कि विनिमय दर से गलत रूप से दिया गया था, जैसाकि डाटाबेस से देखा गया है। इस संबंध में लेखापरीक्षा जांच पर अपने उत्तर (अक्तूबर 2014) में आरएलए हैदराबाद ने बताया कि ऑनलाईन फाईल किए गए आवेदनों के लिए प्रणाली स्वचालित रूप से लागू विनिमय दर पर आईएनआर में एफओबी की गणना करती है और आरएलए के पास किसी विनिमय दर को बदलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, उन्होंने अपने मुख्यालय के पास मामले को लेकर जाने का आश्वासन दिया। दूसरे आरएलएज से उत्तर प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली काफी मामलों में गलत विदेश दरों को लागू करती है और यहां तक कि समान नौपरिवहन बिल में विभिन्न मदों के लिए भिन्न विनिमय दरे प्राप्त करती है जोकि मूलभूत आवेदन में गलत डाटा संसाधन को दर्शाता है जिसके कारण शुल्क क्रेडिट हकदारियों का गलत अनुदान हुआ।

### 8.7.7 डीईपीबी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट हकदारियों का अधिक अनुदान

30 सितम्बर 2011 तक उपलब्ध डीईपीबी योजना के संबंध में एफटीपी के पैरा 4.3.1 अनुसार एक निर्यातक स्वच्छंद रूप से रूपांतरणीय मुद्रा में किए गए निर्यातों के एफओबी मूल्य की विशेष प्रतिशतता पर शुल्क क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता था।

[21] 7आरएलज: कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर और जयपुर

### 8.7.7.1 गलत डीईपीबी क्रेडिट दर को लागू करने के कारण अधिक डीईपीबी क्रेडिट

समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा सूचित की गई डीईपीबी क्रेडिट दरों को डीजीएफटीएमएआईएन/ डाटाबेस की डीईपीबी योजना की डीईपीबी-आरएटी-413 टेबल में संग्रहित और अद्यतित किया जाता है और नौपरिवहन बिल मद स्तर पर हकदारी के डाटा को डीईपीबी-पीईपी-403 टेबल में संगृहित किया जाता है।

डीईपीबी हकदारियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि हालांकि लागू क्रेडिट दर को डीईपीबी दर निदेशिका से प्राप्त किया गया है फिर भी प्रदत दर 2,864 अभिलेखों में लागू दर से अधिक थी जिसके कारण ₹ 11.89 करोड़ मूल्य के उच्चतर शुल्क क्रेडिट दिए गए थे। इन में से 232 लाइसेंस फाईलों में 2,312 अभिलेखों में ₹ 8.92 करोड़ के गलत शुल्क क्रेडिट अकेले आरएलए हैदराबाद से संबंधित थे।

91 अभिलेखों के नमूनों की डीईपीबी दावों में दर्ज किए गए डाटा से संबंधित विश्लेषण की सटीकता की पुष्टि करने के लिए 6 आरएलएज[22] की फाईलों से प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी जहां यह पाया गया कि अनुमत डीईपीबी दरे निदेशिका से प्राप्त की गई दरों से अलग थी जैसाकि विश्लेषण में देखा गया था। आरएलए अहमदाबाद में एक मामलें में 44 प्रतिशत डीईपीबी दर को 4 प्रतिशत की योग्यता दर की अनुमति दी गई थी। आरएलए हैदराबाद में ऐसे मामलों की बड़ी संख्या के संबंध में कार्यालय ने बातया (30 अक्तूबर 2014) कि तथ्यों की फाइलों के संबंध में जांच की जाएगी। तथापि, मामलों की बड़ी संख्या (2,312 अभिलेख) होने के मद्देनजर सत्यापन में कुछ समय लगेगा।

आरएलए, कोचीन में यह देखा गया कि गलत डीईपीबी दर एक मामले में (क्रम सं. 2587) गलत एलईओ तारीख और अन्य 4 मामलों (क्रम सं. 1930 से 1933) में गलत उत्पाद कोड के कारण वसूल की गई थी। यह देखा गया कि इन मामलों में आरएलए ने सही शुल्क क्रेडिट दर प्रदान की थी किन्तु ईडीआई डाटा में संचार अभिलेखों को सही नहीं किया गया था।

[22] 6आरएलएज:अहमदाबाद, कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद, लुधियाना और कानपुर

यह देखा गया कि डीजीएफटी इडीआई प्रणाली डाटाबेस में संशोधन किए बिना और परिवर्तनों के लिए कारणों या उपयोक्ता, जिसने परिवर्तन किए थे, को इलेक्ट्रोनिक रूप से अभिलिखित (प्रणाली में) किए बिना इसीओएम आवेदन की हार्डकॉपी के साथ प्रस्तुत किए गए प्रत्यक्ष अभिलेखों के आधार पर प्रणाली द्वारा संगणित मूल्यों (इसीओएम आवेदनों में प्रस्तुत डाटा के आधार पर संगणित) में सुधार करने के लिए आरएलएज़ हेतु मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति देती है। हस्त्य रूप से महत्वपूर्ण लाइसेंसिंग डाटा को बदलने हेतु विशेषाधिकार के परिणामस्वरूप शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान हुआ और परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के किसी इलेक्ट्रानिक लेखापरीक्षा ट्रेल के बिना लाभों के अनियमित अनुदान की गुंजाईश उत्पन्न होती है।

### 8.7.7.2 वैल्यू कैप आकृष्ट करने वाली मदों के लिए अधिक डीइपीबी क्रेडिट

जहां भी वैल्यू कैप को डीईपीबी अनूसची दरों में निर्धारित किया गया है वहां क्रेडिट हकदारी को निर्यातों के एफओबी मूल्य पर स्वीकार्य डीईपीबी दर लागू करके या निर्यात मात्रा पर वैल्यू कैप लागू करके प्राप्त किए गए मूल्य पर, जो भी कम हो, गिना जाता है।

विशेष रूप से वैल्यू कैप आकृष्ट करने वाली मदों के लिए डीईपीबी हकदारी के विश्लेषण से पता चला कि 3,780 अभिलेखों में वैल्यू कैप के गलत आवेदन या उपेक्षा के परिणामस्वरूप ₹ 9.77 करोड़ मूल्य के अधिक डीईपीबी क्रेडिट का अनुदान हुआ।

उपरोक्त में से 1545 अभिलेखों में यह भी देखा गया कि डीईपीबी क्रेडिट राशि डीईपीबी क्रेडिट दर को लागू किए बिना वैल्यू कैप के साथ निर्यात मात्रा को सीधे गुणा करके प्राप्त की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.10 करोड़ (उपरोक्त ₹ 9.77 करोड़ में से) का अधिक शुल्क क्रेडिट दिया गया।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में वैल्यू कैप आकृष्ट करने वाली मदों के लिए स्वीकार्य डीईपीबी क्रेडिट की गणना से संबंधित गणना प्रक्रिया में विसंगतियां है जिसके परिणामस्वरूप अधिक शुल्क क्रेडिट दिया गया।

### 8.7.7.3 योजना के आहरण के बाद किए गए निर्यातों पर डीईपीबी लाभ का अनियमित अनुदान

सार्वजनिक नोटिस सं. 54(आरई-2010)/2009-2014 दिनांक 17 जून 2011 के माध्यम से डीईपीबी योजना को 01 अक्तूबर 2011 से बन्द घोषित कर दिया गया था अर्थात डीईपीबी शुल्क क्रेडिटों को 01 अक्तूबर 2011 के बाद किए गए निर्यातों पर नहीं दिया जाएगा।

अप्रैल 2011 के बाद की (3 वर्ष) अवधि से संबंधित अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के डीईपीबी क्रेडिटों को 175 अभिलेखों में गलत रूप से दिया गया था, हालांकि इन सभी मामलों में निर्यात की तारीख 30 सितम्बर 2011 के बाद की थीं।

4 आरएलए[23] में 68 मामलों के नमूनों के प्रत्यक्ष सत्यापन और आरएलए मुम्बई में एलइएमआईएम अनुप्रयोग के 21 मामलों की जांच पर यह देखा गया कि डीईपीबी क्रेडिटों की उन मामलों में नौपरिवहन बिलों पर अनुमति दी गई थी जहां इसीओएम अनुप्रयोग पर मुद्रित एलईओ/निर्यात तारीख योजना के बन्द होने के बाद की थी। इसके बारे में बताए जाने के बाद आरएलए, हैदराबाद ने उत्तर दिया कि सभी 40 मामलों में संबंधित एसबीज से संबंधित माल को 30.09.2014 की कट-ऑफ तारीख से पहले सीमाशुल्क को सौंप दिया गया था और इसलिए यह एचबीपी, संस्करण-1 के पैरा 9.12 के संबंध में डीईपीबी लाभों के लिए पात्र है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरएलए ने इन मामले में, 'सीमाशुल्क को हस्तांतरण की तारीख' को कैसे निर्धारित किया था, क्योंकि इस डाटा को ईडीआई प्रणाली में प्रग्रहण नहीं कि गया है। तथ्य यह है कि यहां कट-ऑफ तारीख के वैधीकरण का अभाव था, और डीईपीबी लाभों की अनुमति उन मामलों में भी दी गई थी जहां दर्ज की गई निर्यात की तारीख योजना को बन्द होने की तारीख से बाद की थी। शेष 3 आरएलएज से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, डीईपीबी के अन्तर्गत हकदारी की अनुमति देने के लिए कट-ऑफ हेतु महत्वपूर्ण तारीख के रूप में निर्यात की तारीख (एलईओ तारीख, निर्यात

[23] 4 आरएलएज: कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद और कानपुर

तारीख, सीमाशुल्क को हस्तांतरण की तारीख आदि) के निर्धारण में अस्पष्ट थी जिसके परिणामस्वरूप योजना के आहरण के बाद किए गए निर्यातों पर डीईबी लाभों का गलत अनुदान हुआ।

### 8.7.7.4 योजना से आहरित उत्पादों पर अनुमत डीईपीबी शुल्क क्रेडिट

विभिन्न उत्पादों को डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से समय-समय पर डीईपीबी दरों की अनुसूची से हटाने के साथ-साथ जोड़ा भी जाता है। उदाहरणार्थ, स्किम्ड मिल्क उत्पादों (एसएमपी), छेना और दूसरे अन्य दुग्ध उत्पादों को सार्वजनिक नोटिस सं. 26 (आरई-2010)/ 2009-2014 दिनांक 24.1.2011 के माध्यम से 25.01.2011 को या इसके बाद किए गए नौपरिवहन के संबंध में डीईपीबी लाभ के लिए अपात्र घोषित किया गया था। इसके बाद, कॉटन के निर्यात को पीएन 45 (आरई-2010)/2009-2014 दिनांक 31.03.2011 के माध्यम से 21.4.2010 को या इसके बाद किए नौपरिवहन के लिए डीईपीबी लाभ के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था और डीईपीबी लाभों को पीएन 68/2009-2014 (आरई 2010) दिनांक 04.08.2011 के माध्यम से 01.10.2010 से वापस लौटा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने ईडीआई प्रणाली में इन परिवर्तनों के सही कार्यान्वयन की पुष्टि करने के लिए जांच की थी। अप्रैल 2011 के बाद की 3 वर्ष की अवधि से संबंधित डीईपीबी योजना अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि डीईपीबी शुल्क क्रेडिट दुग्ध उत्पादों, कॉटन और छेना के प्रति 24 अभिलेखों में गलत रूप से दिया गया था। अनियमित रूप से अनुमति दिया गया डीईपीबी क्रेडिट ₹ 0.21 करोड़ मूल्य का था। उपरोक्त मामलें दोबारा कारबार नियमों की खराब मैपिंग और योजना से आहरित उत्पादों पर डीईपीबी लाभों की अननुमति को सुनिश्चित करने हेतु इडीआई प्रणाली में जांच के अभाव को दर्शाते है।

आरएलए, कानपुर और आरएलए, मुम्बई में पांच मामलों की प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी जिसने गलत अनुमति की पुष्टि की। लेखापरीक्षा जांच पर विभाग के उत्तर प्रतीक्षित है।

### 8.7.8 हकदारी की गलत गणना के कारण वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातों पर अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान

मुक्त हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप निर्यातों कि एफओबी मूल्य पर दिया जाएगा (एचबीपी का पैरा 3.11.11)। इसके अलावा, सभी पूर्व-वसूली मामलों को निर्यात प्राप्तियों की वसूली के संबंध में और अधिक/कम वसूली के समायोजन के लिए संबंधित आरए द्वारा मॉनीटर किया जाएगा, पैरा 3.11.13 की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

पश्च वसूली मामलों में वीएफएफएम योजनाओं (वीकेजीयूवाई, एफएमएस, एफपीएस और एमएलएफपीएस योजनाएं) के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद पर शुल्क क्रेडिट हकदारी को योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य शुल्क क्रेडिट दर द्वारा गुणा किए गए आईएनआर में वसूले गए एफओबी के आधार पर गिना, लेट कट की प्रतिशतता द्वारा कम किया जाना चाहिए, यदि कोई है।

डीजीएफटी द्वारा उपलब्ध कराई गई डाटा निदेशिका के अनुसार भारतीय मुद्रा में वसूले गए एफओबी को वीएफएफएम शुल्क क्रेडिट हकदारी गणना टेबल के 'एफओबी-ओएनबीसी-2503' फील्ड में संगृहित किया जाता है। भारतीय रूपए में वसूले गए एफओबी के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा शुल्क क्रेडिट हकदारी की गणना से पता चला कि यहां 5,917 अभिलेख थे जिनमें अप्रैल 2011 के बाद से 3 वर्ष की अवधि के दौरान ₹ 0.98 करोड़ मूल्य के अधिक शुल्क क्रेडिट की अनुमति दी गई थी।

बारह फाईलों के नमूनों की वीएफएफएम दावों पर दर्ज किए गए डाटा से संबंधित विश्लेषण की सटीकता की पुष्टि करने के लिए 3 आरएलएज[24] पर प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई थी, जहां यह पाया गया कि वीएफएफएम शुल्क क्रेडिट की गणना आईएनआर में वसूले गए एफओबी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे मूल्य पर की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा जांच के अपने उत्तर मे आरएलए हैदराबाद ने बताया कि उन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी जहां स्क्रिप्स गलत रूप से जारी की गई थी जैसाकि लेखापरीक्षा ने बताया था। हालांकि, आरएलए कोचीन में दो मामलों में यह देखा गया कि विदेशी मुद्रा डाटा को गलत रूप से दर्ज किया गया था जिसके कारण ईडीआई

[24] 3 आरएलएज: हैदराबाद, कोचीन, कोलकाता

प्रणाली द्वारा गलत गणना की गई और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को ईडीआई डाटा को असंशोधित छोड़ते हुए फाइल में हत्स्य रूप से सुधार करने के बाद जारी कर दिया गया था।

यह देखा गया कि ईडीआई प्रणाली द्वारा शुल्क क्रेडिट की गलत अनुमति से अलग आरएलए ने ईडीआई डाटा ने आवश्यक संशोधन प्राप्त करने और करने की बजाय और इडीआई प्रणाली परा गणना छोड़ते हुए, हस्त्य रूप से गणना की।

### 8.7.9 डीईपीबी योजना के अन्तर्गत पहले से उपयोग किए गए नौपरिवहन बिलों पर घटाई गई दरों को लागू न करने के कारण वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान

उत्पाद (एचबीपी के परिशिष्ट 37ए में सूचीबद्ध) वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत निर्यातों (मुक्त विदेशी विनिमय) के एफओबी मूल्य 5% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार है। हालांकि, पैरा 3.13.13 के अनुसार वीकेजीयूवाई हकदारी केवल उन मामलों में 3% की घटाई गई दर पर उपलब्ध है जहां निर्यातक ने विशेष डीईपीबी दर (अर्थात उत्पाद ग्रुप 90 की विविध श्रेणी क्रम सं. 22 सी और 22 डी के अलावा) पर शुल्क क्रेडिट लाभ भी प्राप्त किया है। इसके अलावा, परिशिष्ट 37 ए की तालिका 2 में सूचीबद्ध कुछ उत्पाद वीकेजीयूवाई की 5% या 3% घटाई गई दर से अतिरिक्त निर्यातों के 2% एफओबी मूल्य के बराबर अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार है।

इस प्रकार, उन निर्यातों के लिए, जिन पर डीईपीबी क्रेडिट की विशेष दर प्राप्त की गई है, वीकेजीयूवाई क्रेडिट परिशिष्ट 37ए की तालिका 2 के अन्तर्गत उत्पादों के लिए 5% की उच्चतर घटाई गई दर और उक्त परिशिष्ट के दूसरे उत्पादों पर 3% की घटाई गई दर पर उपलब्ध है।

अप्रैल 2011 के बाद से 3 वर्ष की अवधि के लिए वीकेजीयूवाई स्क्रिप अभिलेखों की विशेष डीईपीबी दरों (अर्थात उत्पाद कोड 90/22सी और 90/22डी के अन्तर्गत नहीं आने वाले) को आकृष्ट करने वाली मदों के अभिलेखों के साथ तुलना करने पर पता चला कि वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत ₹ 1.17 करोड़ मूल्य का अधिक शुल्क क्रेडिट की लागू 3% या 5% की घटाई गई दरों के लिए अनुमत दर की प्रतिशतता न होने के कारण 957

अभिलेखों में अनुमति दी गई थी। इससे ईडीआई अनुप्रयोग मे बीकेजीयूवाई दरों पर प्रतिबधता के संबंध में एफटीपी के प्रावधान की अपर्याप्त मैपिंग का पता चला जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त शुल्क क्रेडिट हकदारियों का गलत अनुदान हुआ।

मामलें को ऐसे 40 और 42 मामलों के संबंध में क्रमशः कोलकाता (19 नवम्बर 2014) और चेन्नई (23 अक्तूबर 2014) के आरएलए के समक्ष उठाया गया था। उनके उत्तर भी प्रतीक्षित है।

उन मामलों में न्यूनतर दरों के लिए वीकेजीयूवाई हकदारियों की प्रतिबद्धता के संबंध में जहां डीईपीबी लाभों को भी प्राप्त किया गया था एफटीपी के प्रावधान की इडीआई प्रणाली में अपर्याप्त मैपिंग के परिणामस्वरूप वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिटों का अधिक अनुदान हुआ।

### 8.7.10 ईडीआई प्रणाली के अन्तर्गत कवर न की गई कारोबार प्रक्रिया हस्त्य रूप से जांच की योजना में और आवश्यकता महत्वपूर्ण डाटा को प्रग्रहण करने में विफलता

सीमाशुल्क नियमित आधार पर ऑनलाईन रूप से डीजीएफटी को एसबी डाटा भेजता है जोकि एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न लाभों के अनुदान हेतु असल जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। डाटा की ऑनलाईन प्राप्ति जानकारी की सटीकता, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, ठीक और तीव्र संसाधन आदि को सुनिश्चित करती है

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न प्रकार की जानकारी, जोकि कारबार प्रक्रियाओं अर्थात एफटीपी के प्रावधानों के लिए आवश्यक है, को एसबी नामक डाटा के साथ सीमाशुल्क से प्रग्रहण या मांगा नहीं गया है।

**क)** योजना जिसके अन्तर्गत निर्यात अभीष्ठ थे।

**ख)** ईपीसीजी/डीएफआईए/एए योजना के अन्तर्गत लाइसेंस के शीघ्र डिस्चार्ज हेतु निर्यात बिल में उल्लिखित लाइसेंस संख्या/लाइसेंस फाइल।

**ग)** क्या सीमाशुल्क शुल्क फिरती बिल है।

**घ)** दावा की गई/दी गई फिरती, यदि कोई है, जोकि वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली घटाई गई हकदारी दर के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है।

**ङ)** डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में सीमाशुल्क द्वारा मंजूर किए गए नौपरिवहन बिलों मे उपलब्ध माल के वास्तविक मद विवरण को डीईपीबी/वीएफएफएम शुल्क क्रेडिट गणनाओं के निर्धारण हेतु सीमाशुल्क एसबी डाटा से नहीं लिया गया था। इसके बजाय, मद विवरण को डीईपीबी/वीएफएफएम अनुसूची से लिया गया था, यह वास्तविक रूप से निर्धारित माल के विवरण पर सही जानकारी नहीं देता। इसलिए निर्यात मदों के सीमाशुल्क द्वारा प्रमाणित मद विवरणों पर ध्यान न देने के कारण शुल्क क्रेडिट लाभों का गलत अनुदान हुआ।

**च)** एचबीपी (2012-13) पैरा 3.11.9 के अनुसार नौपरिवहन बिल के ग्रहण/विमोचन की तारीख जैसे लागू लेट कट के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तारीखें।

**छ)** पैरा 9.12 के परन्तुक के अनुसार नीति प्रावधान के परिवर्तनों के मामले में एफटीपी लाभों की पात्रता के निर्धारण हेतु अपेक्षित सीमाशुल्क को माल के हस्तांतरण की तारीख।

डीजीएफटी को जारी की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (14 नवम्बर,2014) के उत्तर में विभाग ने व्यापार नियमों को समझने में और डाटाबेस में मामलों के विश्लेषण करने के लेखापरीक्षा के प्रयासों की सराहना की है, उनका विश्वास है कि इससे उनकी प्रणाली और प्रक्रिया को सुधारने में सहायता मिलेगी।

## 8.8 निष्कर्ष

डीजीएफटी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधिदेशी कार्य के लिए डीजीएफटी व्यापार महत्वपूर्ण ईडीआई प्रणाली पर अब काफी निर्भर करते है। डीजीएफटी ईडीआई डाटाबेस और प्रक्रियाओं के विश्लेषण से एफटीपी प्रावधानों की गलत या अपर्याप्त मैपिंग, दर्ज किए गए डाटा के वैधीकरण के अभाव, अधिक मानवीय हस्तक्षेपों और डाटा के परिवर्तनों की अनुमति, महत्वपूर्ण दर निदेशिकाओं का गलत अद्यतन आदि का पता चला।

राजस्व प्रभाव सहित महम्वपूर्ण ऑनलाईन प्रणाली के प्रबंध के लिए क्षमता के साथ डीजीएफटी में अनुरूप आईएस संगठन की तत्काल आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने क्रमश: ₹ 1062.40 करोड़ और ₹ 987.21 करोड़ के प्रणालीगत मामले और प्रचालनात्मक खराबी से संबंधित मामले और कारबार नियमों की गलत मैपिंग देखी।

**नई दिल्ली** **(डा. नीलोत्पल गोस्वामी)**
**दिनांक:** **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(शशि कान्त शर्मा)**
**दिनांक:** **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**